भारत-अमेरिका संबंध: पेटेंट कानूनों का प्रभाव

मनुका खन्ना

दो महान लोकतांत्रिक देशों - भारत और अमेरिका के बीच संबंध उस समय से हैं जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। समय बीतने के साथ ये संबंध विभिन्न कारकों से प्रभावित हुए हैं जिनसे सहयोग और द्वंद दोनों पैदा हुए हैं। कभी-कभी कुछ दरारों को पाट लिया गया और संबंधों में मजबूती आई, जबकि कई लगातार जारी रहने वाले विवादों ने संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। मौजूदा समय में भी संबंध बहुत से ऐसे कारकों से प्रभावित होते हैं जो एक-दूसरे से जुड़े हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण कारक है- भारत की पेटेंट नीति। 1980 के दशक में यह भारत-अमेरिका संबंधों में बड़ी बाधा थी। लेकिन अब यह दोनों देशों के संबंधों में मज़बूती का बड़ा स्रोत बन गई है।

भारत के पेटेंट कानून 1856 से चले आ रहे हैं। इनमें समय के साथ संशोधन हुए हैं। आज़ादी के बाद पेटेंट जांच समिति (1948-50) और आयंगर समिति (1957-59) के सुझावों को भारतीय पेटेंट कानून (1970) में शामिल किया गया जिससे कि नई खोजों को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास को संरक्षण दिया जा सके। यह दर्शन विदेशी प्रौद्योगिकी तक पहुंच को बढ़ावा देने की भारतीय ज़रूरत को पूरा करने में सफल नहीं रहा। बहुत ज्यादा कीमत के चलते विदेशी प्रौद्योगिकी तक पहुंच मुश्किल थी। इसी के हल के लिए पेटेंट उत्पादों को तैयार करने की प्रक्रिया के आधार पर जारी किए गए न कि स्वयं उत्पादों के लिए।

यह दृष्टिकोण विकसित देशों, विशेषकर अमेरिका के रुझान से बहुत अलग था। भारत ने पश्चिमी दवाओं की नकल करके दवा बनाने वाली कंपनियों के दबाव में उत्पाद पेटेंट संरक्षण की व्यवस्था मंजूर नहीं की। भारतीय पेटेंट नीति को पेटेंट अवधि के मोर्चे पर भी अमेरिकी आलोचना लेनी पड़ी क्योंकि यह विश्व व्यापार संगठन

2004 से अब तक

अमेरिका में भारत के राजदूत

रोनेन सेन

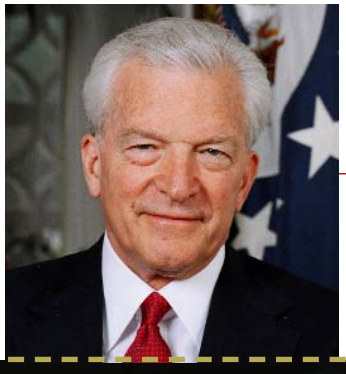

2004 से अब तक

भारत में अमेरिकी राजदूत

डेविड सी. मल्फ़र्ड

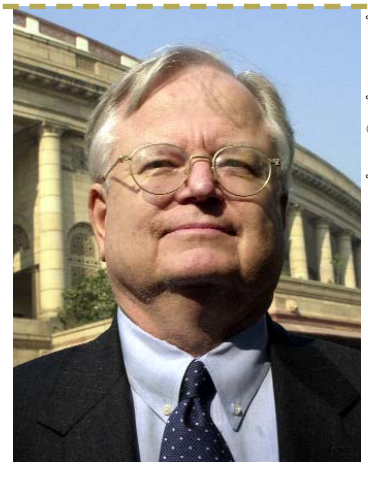

जॉन विकार्ट / अमेरिकी विदेश विभाग

2001-2003

भारत में अमेरिकी राजदूत

रॉबर्ट डी. ब्लैकविल

अशोक कुमार © ए. पी. - डब्ल्यू. डब्ल्यू. पी.

गुरिंदर ओसान © ए. पी. - डब्ल्यू. डब्ल्यू. पी.

2006

राष्ट्रपति जॉर्ज बुश नई दिल्ली आने पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ। प्रधानमंत्री सिंह जुलाई 2005 में वाशिंगटन यात्रा पर गए थे।

द्वारा तय 20 साल की अवधि से कम के लिए थी। रसायनों, खाद्य पदार्थ, औषधियों और दवाओं के लिए भारत में पेटेंट आवेदन की तारीख से सात साल या पेटेंट सील होने के बाद की तारीख से पांच साल में जो भी कम हो, उस अवधि के लिए होता था।

अन्य उत्पादों के लिए पेटेंट अवधि सभी विवरणों के साथ पेटेंट आवेदन करने के बाद 14 साल के लिए होती थी। पेटेंट कानून में यह व्यवस्था भी थी कि पेटेंट की गई खोज का इस्तेमाल सरकार कर सकेगी जिससे कि पेटेंट किए गए उत्पादों की कमी न रहे और उनकी कीमत अधिक न होने पाए। इस कानून में परमाणु ऊर्जा और सजीव उत्पादों के पेटेंट की अनुमति नहीं थी। इस तरह से यह कानून अमेरिकी पेटेंट कानून के विरोधाभासी था जिसमें व्यापक आधार पर पेटेंट की व्यवस्था थी।

1980 के दशक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच ज़्यादा सहयोग देखने को मिला। एक महत्वपूर्ण कदम 1982 की विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल थी जिसे 1985 में तीन और साल के लिए बढ़ा दिया गया। स्वास्थ्य, कृषि, बॉयोमास, ठोस अवस्था विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, सूक्ष्म मापन उपकरण और सॉफ़्टवेयर विकास के क्षेत्र में सफल संयुक्त उपक्रम शुरू हुए। लेकिन इस सहयोग पर अमेरिका द्वारा भारतीय पेटेंट कानून में तब्दीली पर ज़ोर देने के कारण खतरा मंडराने लगा। अमेरिका विशेष तौर पर चाहता था कि भारत सभी श्रेणियों में उत्पाद पेटेंट को मान्यता दे और इसकी अवधि बढ़ाए। भारत ने इसका विरोध किया। भारत का कहना था कि इससे नए शोध में बाधा आएगी और एकाधिकार को बढ़ावा मिलेगा।

भारत द्वारा 1986-94 की उरूग्वे दौर की विश्व व्यापार वार्ता में व्यापार आधारित बौद्धिक संपदा अधिकारों-ट्रिप्स को शामिल करना स्वीकार करने के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल को नवीकृत किया गया लेकिन पेटेंट का मुद्दा हल नहीं हुआ। वर्ष 1989 में अमेरिका ने भारत समेत आठ देशों की प्राथमिक निगरानी सूची में डाल दिया जिन पर अमेरिकी बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए नज़र रखी जानी थी।

उरूग्वे वार्ता में भारत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पेटेंट और ट्रेडमार्क के मामले में विकासशील देशों के साथ बेहतर व्यवहार किया जाए। प्रस्ताव किया गया कि उन्हें अपने आर्थिक विकास और लोगों की ज़रूरतों के लिए घरेलू कानूनों को अमल में लाने की आज़ादी हो। भारत सरकार ने 1994-95 के संशोधन के जरिये पेटेंट कानून में कुछ तब्दीलियां लाने का प्रयास किया। घरेलू उद्योग जगत के विरोध के चलते ऐसा नहीं हो पाया और इसमें 1998 तक कोई संशोधन नहीं हुआ।

शीत युद्ध के बाद के परिदृश्य में 1990 के दशक में कुछ तब्दीलियां हुईं। राष्ट्रीय हितों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा आर्थिक भागीदारी के साथ संबंध किया गया। सरकार के तब्दीली लाने के प्रयासों में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसोचैम), फैडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) और भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जैसी संस्थाओं ने साथ दिया। मई 2002 में भारत ने औषधि पेटेंट संरक्षण को सात साल से 20 साल कर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का एक भाग पूरा कर दिया। इसी के साथ ट्रिप्स का पालन करने वाला ट्रेडमार्क कानून, कॉपीराइट कानून और डिज़ाइन पंजीकरण कानून बनाया गया।

भारतीय संसद द्वारा अप्रैल 2005 में पेटेंट संशोधन कानून 2005 को अधिसूचित करने के साथ ही बेहतर संबंधों के रास्ते की प्रमुख अड़चन दूर हो गई। यह कानून इस लिहाज से अहम था कि इसमें उत्पाद पेटेंट व्यवस्था को शुरू कर दिया गया। इसने बौद्धिक संपदा के कई पहलुओं को बदल दिया जिनमें बॉयो टेक्नोलॉजी और दवा उद्योग पर विशेष प्रभाव पड़ा। इससे पेटेंट आवेदन की तारीख से 20 साल के पेटेंट को स्वीकार किया गया और इसमें मेलबॉक्स आवेदन भी शामिल थे जिनका 1995 के बाद आवेदन किया गया था।

अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की मार्च 2006 में भारत यात्रा के समय इसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई दिया। भारत को अब लुभावने बाज़ार और निवेश स्थल के रूप में देखा जाता है। दोनों देशों ने अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग शुरू किया है। ज़्यादा सामरिक सहयोग और वाणिज्यिक संबंधों के विस्तार की उम्मीद भी बढ़ी है।

इस कानून ने कई स्वागतयोग्य तब्दीलियां की हैं। लेकिन इसके अनुच्छेद 3 डी से विवाद भी खड़ा हुआ है। इसमें किसी भी ज्ञात पदार्थ के नए उपयोग के पेटेंट को इस आधार पर मान्यता नहीं देने की व्यवस्था है कि यह आविष्कार की शर्त को पूरा नहीं करता। पारंपरिक ज्ञान को पेटेंट करने का मुद्दा विवादास्पद है और इस पर अक्सर विकासशील और विकसित देशों में गलतफहमी होती रहती है। अमेरिका में योग पद्धतियों के पेटेंट की झूठी रिपोर्टों पर हल्लागुल्ला इसका एक उदाहरण है। कानूनी और अन्य ढांचे को तैयार करने और इसके प्रबंधन, श्रम कानूनों में सुधार और निर्णय प्रक्रिया के धीमी होने जैसे मसलों से अभी भी संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। 1980 के दशक के बाद से दोनों देशों ने लंबा सफर तय किया है और उम्मीद है कि बेहतरी का यह रुझान कायम रहेगा।

मनुका खन्ना *लखनऊ विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग में रीडर हैं। उन्होंने राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के कार्यकाल में भारत-अमेरिकी संबंधों पर पुस्तक भी लिखी है।*